फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **उप खण्ड अधिकारी** मुकाम **सूरजगढ़**

राज0 सरकार **बनाम** **महेश कुमार**

किस्म मुकदमा धारा 177 **आर.टी.एक्ट** मुकदमा न0 289/**2021**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.05.2022	आज यह पत्रावली प्रतिवादीगण की ओर से जरिये अधिकाक्ता शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश करने पर तलब की गई। प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 09 रूल 7 सी.पी.सी. पेश किया गया। अधिवक्ता प्रतिवादीगण को सुना गया। उनका कथन है कि प्रतिवादीगण के खिलाफ मौजुदा वाद में दिनांक 20.12.2021 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल की गई जबकि प्रतिवादीगण को उनके पते पर विधिवत तामील नहीं हुई। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को जवाबदावा का अवसर प्रदान करें। पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि प्रकरण में प्रतिवादीगण की तामील चस्पांदगी से करवाई गई है न्यायहित में प्रतिवादीगण का प्रार्थनापत्र आदेश 09 रूल 7 सी.पी. स्वीकार किया जाकर जवाबदावा का अवसर दिया गया। प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा मय प्राधिकृत अधिकारी नगर पालिका सूरजगढ़ की सूची पेश किया गया। बहस सुनी गई। प्रतिवादीगण अधिवक्ता का कथन है कि वाद वर्णित भूमि कस्बा सूरजगढ़ का परिवर्तन राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ख के अधीन कृषि भूमि को गैर कृषि परियोजनार्थ संपरिवर्तन हेतु तहसीलदार सूरजगढ़ द्वारा पटवारी हल्का को तहरीर जारी करने के बावजूद भूमिधारी तहसीलदार की ओर से बिना कारण मौजुदा वाद प्रस्तुत किया गया है। इसलिए वाद वादी खारिज फरमाया जावे। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। मौजुदा प्रकरण संपरिवर्तन योग्य है। चूंकि वादी भूमिधारी तहसीलदार स्वयं भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90 ए के तहत किस्म परिवर्तित करने, बेदखली की कार्यवाही करने में सक्षम है तथा वादग्रस्त भूमि के नामान्तरकरण की कार्यवाही जेरकार है इसलिए वादी को कारण वाद पैदा नहीं होने से मौजुदा वाद खारिज योग्य पाया जाता है। अतः वाद वादी इसी स्टेज पर खारिज किया जाकर तहसीलदार सूरजगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वह भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90 ए की सपठित धारा 91 के तहत कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़	